न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम.नं. 2020/00202

मुकदमा नम्बर 085/2020 दायर दिनांक–13.07.2020

1. शीशराम पुत्र जगूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मंगलचन्द पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ
2. कंचन पुत्री बिहारीलाल
3. मंजू पुत्री बिहारीलाल
4. राजू पुत्री बिहारीलाल
5. चन्द्रभान पुत्र बिहारीलाल
6. सतीश पुत्र बिहारीलाल
7. परमेश्वरी देवी पत्नी बिहारीलाल, जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
8. विरेन्द्र सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति यादव निवासी ग्राम फकरपुर तहसील फकरपुर ,गुडगॉव (हरियाणा)
9. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा मुकुन्दगढ
10. प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा शाखा नवलगढ
11. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुमावास
12. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ जिला झुंझुनू

–अप्रार्थीगण

वकील आवेदक : – श्री विप्लव पण्डित

वकील अनावेदक सं. 8 :– श्री सुरेश सिगड

अनावेदक सं. 2 लगा. 7,9 लगा. 11:– एक पक्षीय

अनावेदक सं. 1 :– प्रा. पत्र मे सरोकार नही होने से एक पक्षीय

<u>प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

:: आदेश :: दिनांक –19/11/2024

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि,प्रार्थी की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम डूमरा में स्थित खसरा नं. 396 कृषि भूमि में पहूँच के लिये अप्रार्थी नं. 1 लगायत 8 की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

डूमरा मे स्थित खसरा नं. 392 की पूर्वी सीमा व खसरा नं. 391 की पश्चिमी सीमा से सटकर 12 फीट चौडाई के रास्ते जिसे नजरी नक्शे मे ए से बी बिन्दुओं से लाल रंग से दर्शाया गया है, प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 से दिलवाया जावे तथा रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड मे किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। प्रकरण में दौराने सुनवाई एक प्रा. पत्र बावत् राजीनामा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 8 का इस कदर पेश हुआ कि, प्रकरण में आवेदक द्वारा ख.नं. 391,392 के मध्य सीमा में 12 फीट रास्ते का अनुतोष चाहा है। जबकी प्रस्तुत राजीनामे मे ख.नं. 391 की पश्चिमी सीमा जो विरेन्द्र के कब्जे काश्त मे होनी बताकर ख.नं. 391 के पश्चिमी भूमि से रास्ता 12 फीट चाहा गया है। राजीनामे के सम्बन्ध में तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट कमांक 416 दिनांक 5/6/2024 पेश हुई।

प्रकरण में अनावेदक सं. 2 लगा. 7,9 लगा. 11 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 1 का प्रा. पत्र में कोई सरोकार नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम डूमरा पटवार हल्का डूमरा मे स्थित भूमि खसरा नं. 396 में आने जाने हेतु खसरा नं. 391 की पश्चिमी सीमा पर 12 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है। ख.नं. 396 की खातेदारी शीशराम पुत्र जगुराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज है तथा खसरा नं. 391 की खातेदारी चंद्रभान ,सतीश पुत्र बिहारीलाल, कंचन,मंजू, राजू पुत्री बिहारीलाल, प्रमेश्वरी देवी पत्नी बिहारीलाल हि. 1/2 जाति ब्राहमण एंव विरेन्द्र सिंह पुत्र महावीर सिंह हि. 1/2 जाति यादव ग्राम फकरपुर तह. फकरपुर गुडगांव के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त ख.नं. 391 में से जाने वाला रास्ता निकटतम रास्ता है जिसकी प्रार्थी को परम आवश्यक्ता है। ख.नं. 391 मे सहखातेदार है परन्तु इस खसरा नं. मे खातेदार विरेन्द्र सिंह पुत्र महावीर सिंह जरिये मुखत्यार महावीर सिंह पुत्र मवासीराम ने प्रकरण में राजीनामा के द्वारा ख.नं. 391 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे 12 फीट चौडा रास्ता देना स्वीकार किया है। ख.नं. 396 में जाने के लिये ख. नं. 391 से होकर जाने वाले रास्ते की लम्बाई 86 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल 344 वर्ग मीटर है जो सबसे निकटतम वैकल्पिक रास्ता है।

प्रकरण में बहस,राजीनामा प्रा. पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ, को लेकर पेश हुई जो बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में ख.नं. 391 में से रास्ता चाहा गया है जो मुताबिक राजीनामा 27/03/2024 द्वारा अप्रार्थी सं. 8 विरेन्द्र सिंह द्वारा स्वीकार भी किया है। अप्रार्थी विरेन्द्र सिंह का उक्त ख.नं. 391 में हिस्सा 1/2 मुताबिक रिकार्ड दर्ज है। ख.नं. 391 के अन्य खातेदारों 2 लगा. 7 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो चूकी है। मुताबिक राजीनामा ए से बी रास्ता 12 फीट चौडा खसरा नं. 391 की पश्चिमी सीमा पर दिया जावे, उसके बदले आवेदक की जमीन खसरा नं.

अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

396 मे से 0.2942 है0 भूमि नजरी नक्शे में क,ख,ग अनावेदक नं. 8 विरेन्द्र को दी जावें। इस बाबत् प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 8 में राजीनामा पेश न्यायालय किया गया है। परन्तु यहॉ यह भी जाहिर है कि उक्त भूमि खसरा नं. 391 सहखातेदारी की है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। इस प्रकार से सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा होता है। इसलियें अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि में से रास्ता दिये जाने पर, रास्ते मे जाने वाली भूमि सभी खातेदारों की कब्जे काश्त की होगी तथा उस भूमि के बदले यदि कोई समायोजन होता है तो वह भी सभी खातेदारों मे समान होगा।

लिहाजा इस न्यायालय को यह उचित समाधान होता है और यह न्यायालय इस प्रकरण में यह आदेश देता है कि, ख.नं. 396 मे आने जाने के लिये प्रार्थी को ख.नं. 391 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे लम्बाई 86 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल 344 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में गै. मु. सिवायचक रास्ता दर्ज कर कायम कर दिया जावे तथा ख.नं. 396 की 1.56 है0 में से राजीनामें के संलग्न नजरी नक्शें अनुसार 0.2942 है0 भूमि ख.नं. 391 के समस्त खातेदारों के नाम (रास्ते के एवज में) समायोजित करते हुये खातेदारी दर्ज कर दी जावे। तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे मे अमलदरामद किया जावे। प्रकरण में पेश राजीनामा दिनांक 27/03/2024 व तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 416 दिनांक 5/6/2024 उक्त आदेश का भाग होगी।

तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुझुंनू, मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद कर मौके पर पालना सुनिश्चित करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 19-11-2024......... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned with CamScanner